क्रमांक 204 दिनांक 27.1.23

अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या ११२।

सम्पत्ति अनभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं0......73......२० 23

आवेदन सं0......937......२० 23

चूंकि श्री......M/S Aditya Builders............ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित सव्यवहारों और अभारों का परिनिरीक्षण प्रमाणपत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अभारों के बारे में बही १ में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में M/S Aditya......में ता....2011 से 2023 तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अभारों का पता चला है।

क्रम सं0	क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mauza [illegible] [illegible] Barma [illegible] 94 [illegible] Khatiyan 3 old Khatian 16 [illegible] 1137 [illegible] 1494 & 1495 Area 31 dec							

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Scanned with CamScanner

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - [signature]

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- [signature]

(पदनाम) - [signature]

कार्यालय Govindpur

मुहर

मुहर अवर निबंधक गोविन्दपुर (धनबाद)

तारीख २७.७.२३

[signature]

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा गया प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो; तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियां और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

प्रतिलिपि- मैसर्स आदित्य बिल्डर्स को सूचनार्थ प्रेषित।

By me C.S.

[signature]

SUB-REGISTRAR
Govindpur (Dhanbad)

Scanned with CamScanner